प्रकरण संख्या 22/19 RCMS ID-2019/00048 ता0रजू 20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 रुगनाथ पुत्र उम्मेद जाति गूजर निवासी चामडपुरा मासलपुर (फौत)
- 1/1 लड्डो पत्नि स्व. रुगनाथ
- 1/2 बाबू पुत्र रुगनाथ
- 1/3 रामेश्वर पुत्र रुगनाथ
- 1/4 रामसहाय पुत्र रुगनाथ(फौत)
  - 1/4/1 केशन्ति पत्नि स्व. रामसहाय
  - 1/4/2 अभिषेक नाबालिग पुत्र रामसहाय
  - 1/4/3 अनीता (नाबालिग) पुत्री रामसहाय } संरक्षक माता स्वयं
  - 1/4/4 भूरो (नाबालिग) पुत्री रामसहाय
- 1/5 सुगर पुत्र रुगनाथ (फौत)
  - 1/5/1 केशन्ति पत्नि स्व. सुगर
  - 1/5/2 राकेश पुत्र सुगर
  - 1/5/3 हल्की पुत्र सुगर
- 1/6 जगदीश पुत्र रुगनाथ (फौत)
  - 1/6/1 सुगरो पत्नि स्व. जगदीश
  - 1/6/2 विश्वेन्द्र पुत्र जगदीश
  - 1/6/3 मुनेश पुत्र जगदीश
- 1/7 नरसी पुत्र रुगनाथ (फौत)
  - 1/7/1 खुग्गन पत्नि स्व. नरसी
  - 1/7/2 विष्णु पुत्र नरसी
  - 1/7/2 महेश पुत्र नरसी

  सभी जातियान गुर्जर निवासीयान चामडपुरा तहसील मासलपुर
- 1/8 रामन पुत्री रुगनाथ पत्नि नारायण जाति गुर्जर निवासी अनीजरा मासलपुर

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–17.12.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 0–03 बीघा ग्राम गढ़ी तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 0–03 बीघा ग्राम गढ़ी सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2036–39 तक के खाता संख्या 38 से श्री रुगनाथ पुत्र उम्मेद जाति गूजर निवासी चामड़पुरा के नाम जरिये नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में रुगनाथ पुत्र उम्मेद जाति गूजर निवासी चामड़पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.

1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 0–03 बीघा बाके ग्राम गढ़ी को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 8/20.01.1977, 17/01.11.1977 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/7/2 की ओर से वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों का खसरा नं. 3 रकबा 3 विस्वा बाके ग्राम चामडपुरा तहसील मासलपुर में कब्जे काश्तकार व खातेदार हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थीगणों का करीब 50 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा नं. 3 में मौके पर किसी प्रकार का कोई नाला नहीं है। भूमि समतल है। आस–पास के खेतों से भी नाला नहीं गुजर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को गैर.मुमकिन नाला गलत दर्ज किया गया है। अंत में रेफरेन्स खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1/8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थी संख्या 1/8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 0–03 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 8 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3 किस्म बारानी–3 रकबा 0–03 रुगनाथ पुत्र उम्मेद जाति गूजर निवासी मासलपुर के नाम दिनांक 20.01.1977 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 3 किस्म बारानी–3 रकबा 0–03 रुगनाथ पुत्र उम्मेद जाति गूजर निवासी मासलपुर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गढ़ी की आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 0–03 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:07:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: